

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह

बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2022/4805

प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 14-12-22

1 रतनसिंह पुत्र भंवरसिंह
जाति राजपूत निवासी
मीठड़ा तहसील व जिला
बाड़मेर।

1 उम्मेदसिंह पुत्र नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह
जाति राजपूत निवासी मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर 3
तहसीलदार बाड़मेर।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 215/2022

दिनांक-

07/12/22

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मीठड़ा पटवार क्षेत्र मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 2303/1911 रकबा 0.2347 हैक्टर तथा खसरा संख्या 2465/1911 रकबा 28.6760 हैक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक - 14-12-22

क्रमांक :- रीडर/2022/4806-4809

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मीठड़ा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. रतनसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी मीठड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी उम्मेदसिंह पुत्र नारायणसिंह वगैरह जाति राजपूत निवासी मीठड़ा तहसील बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
